रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102024-258300
CG-DL-E-29102024-258300

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4329] नई दिल्ली,सोमवार, अक्तूबर 28, 2024/ कार्तिक 6, 1946
No. 4329] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2024/KARTIK 6, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4705(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3630 (अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3630 (अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2020 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3630 (अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली एक मानीटरी समिती का गठन करेगी, अर्थात्: -

(I)	कलेक्टर, कोल्हापुर	अध्यक्ष, पदेन;
(II)	कलेक्टर सिंधुदुर्ग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(III)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(IV)	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(V)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(VI)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य, पदेन;
(VII)	राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(VIII)	सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(IX)	लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(X)	मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, सह्याद्री बाघ परियोजना, कोल्हापुर का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;

(XI)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक सदस्य	सदस्य, पदेन;
(XII)	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), सावंतवाड़ी प्रभाग	सदस्य, पदेन;
(XIII)	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापुर प्रभाग	सदस्य सचिव, पदेन।

6. **मानीटरी समिति के कार्य:-** (1) मानीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रिया कलापों की छानबीन करेगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनुमति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पास निर्दिष्ट करेगी।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में समाविष्ट नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, की छानबीन मानीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों के पास निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षा के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या पणधारियों को आमंत्रित कर सकेगी।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में विनिर्दिष्ट रूपविधान में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्र सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

[फा.सं.25/02/2017-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण.- मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3630(अ) तारीख 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2024

S.O. 4705(E). — WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Radhanagri Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3630 (E), dated the 15th October, 2020;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3630 (E), dated the 15th October, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section #(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.3630 (E), dated the 15th October, 2020:-

In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby Monitoring Committee, consisting of the following persons, namely: -

(i)	Collector, Kolhapur	Chairman, ex officio;
(ii)	A representative of the Collector Sindhudurg	Member, ex officio;
(iii)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member, ex officio;
(iv)	One representative of Non-governmental organization working in the field of Wildlife Conservation to be nominated by the State Government of Maharashtra from time to time every three years.	Member;
(v)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.	Member;
(vi)	Senior Town Planner of the area	Member, ex officio;
(vii)	A representative of the Department of Revenue, Government of Maharashtra	Member, ex officio;

(viii)	A representative of the Department of Irrigation, Government of Maharashtra	Member, ex officio;
(ix)	A representative of the Public Works Department, Government of Maharashtra	Member, ex officio;
(x)	A representative of Chief Conservator of Forests and Field Director, Sahyadri Tiger Project, Kolhapur	Member, ex officio;
(xi)	One member of State Biodiversity Board	Member, ex officio;
(xii)	Deputy Conservator of Forests (Territorial), Sawantwadi Division	Member, ex officio;
(xiii)	Deputy Conservator of Forests (Territorial), Kolhapur Division	Member Secretary, ex officio.

6. **Functions of the Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-V**.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”.

[F. No. 25/02/2017-ESZ]
Dr. S. KERKETTA,Scientist “G”

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O.3630 (E), dated the 15th October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.29 11:45:32 +05'30'